

आदेश

कृषि निदेशालय द्वारा केन्द्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा एवं कोर्ट केस की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में निम्न कार्यक्रम अनुसार की जायेगी :-

क०	समय	विषय	पदाधिकारी का नाम/पदनाम
1	11.00 बजे पूर्वा० (प्रत्येक मंगलवार)	सभी योजनाओं की समीक्षा	संयुक्त निदेशक (शष्य), योजना। योजना के सभी नोडल पदाधिकारी।
2	10.30 बजे पूर्वा० (प्रत्येक शुक्रवार)	विडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा योजनाओं की समीक्षा।	संयुक्त निदेशक (शष्य), योजना। योजना के सभी नोडल पदाधिकारी। निदेशालय के सभी पदाधिकारी।
3	5.30 बजे अप० (प्रत्येक शुक्रवार)	लंबित कोर्ट केस से संबंधित सभी मामले	निदेशक (प्रशासन)। उप निदेशक (प्रशासन)। प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5, 6 एवं 7 विधि शाखा के सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी

सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने पटल से संबंधित अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन के साथ एवं लंबित कोर्ट केस से संबंधित मामलों की समीक्षा हेतु संबंधित शाखा के पदाधिकारी एवं कर्मी अद्यतन प्रतिवेदन के साथ सुसमय बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें।

(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 4292

पटना दिनांक 13 अक्टूबर, 2016

प्रतिलिपि- सभी योजना के नोडल पदाधिकारी/निदेशालय एवं मीठापुर स्थित सभी पदाधिकारी/निदेशक (प्रशासन)/उप निदेशक (प्रशासन)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5, 6 एवं 7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 4292

पटना दिनांक 13-अक्टूबर, 2016

प्रतिलिपि- उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 4292

पटना दिनांक 13-अक्टूबर, 2016

प्रतिलिपि- मा० मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/विशेष सचिव, कृषि के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।